भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

ध्यान दें !!!

सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) के बॉण्डधारक ध्यान दें !!

*** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करें ***

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 31 अगस्त, 2012 के आदेश और बाद में पारित आदेशों, विशेषकर तारीख 8 मई, 2013 के आदेश, के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) के उन बॉण्डधारकों को धन-वापसी (रिफंड) कर रहा है, जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास अपनी शिकायतें प्रस्तुत की थीं / दावे प्रस्तुत किये थे । यह विज्ञापन, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 जुलाई 2014 को हुई कार्यवाहियों के अनुसरण में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उन व्यक्तियों से 'धन-वापसी हेतु **दावे**' (रिफंड **क्लेम**) **आमंत्रित करने के लिए** जारी किया जा रहा है, जिन्होंने पहले दावे प्रस्तुत नहीं किये और जिनके पास एस.आई.आर.ई.सी.एल. तथा एस.एच.आई.सी.एल. द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित बॉण्ड हैं:

एस.आई.आर.ई.सी.एल. द्वारा जारी किये गये बॉण्ड	**रियल इस्टेट / एबोड / निर्माण बॉण्ड**
एस.एच.आई.सी.एल.द्वारा जारी किये गये बॉण्ड	**मल्टीपल / इनकम / हाउसिंग बॉण्ड**

बॉण्डधारक अपने दावे, यहाँ साथ में दिये गये फॉर्मेट में आवेदन करके निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं (कृपया नीचे दिये गये अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें):

i. मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र / पासबुक
ii. पहचान के सबूत और पते के सबूत की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ
iii. बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ की स्व-प्रमाणित प्रति या रद्द किया गया चेक (कैन्सल्ड चेक) [पासबुक की प्रति / दिये गये चेक के अनुसार, धन-वापसी (रिफंड) की रकम आपके बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी] ।

कृपया यह नोट करें कि ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है, उनसे भिन्न किन्हीं स्कीमों / बॉण्डों से संबंधित दावों पर विचार नहीं किया जायेगा, और जो आवेदक को लौटा दिये जायेंगे (और इस प्रकार लौटाये जाने में निहित जोखिम आवेदक का होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी) ।

धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:

स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
यूनिट: सेबी – सहारा रिफंड,
एस.एच.सी.आई.एल. हाउस, प्लॉट सं. पी-51, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया,
एम.आई.डी.सी., म्हापे,
नवी मुम्बई : 400 710

धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख* : 30 सितम्बर, 2014

*** 30 सितम्बर, 2014 के बाद प्राप्त दावे आवेदक को लौटा दिये जायेंगे (और इस प्रकार लौटाये जाने में निहित जोखिम आवेदक का होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी) ।**

बॉण्डधारकों के लिए अनुदेश:

1. कृपया यहाँ छपे हुए फॉर्म में ही आवेदन करें । आप आवेदन करने के लिए इसकी फोटोकॉपी भी करा सकते हैं या इसे फिर से स्पष्ट रूप से टंकित (टाइप) भी करा सकते हैं। इस फॉर्मेट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।
2. पहचान के सबूत और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची:
   i. पहचान का सबूत: विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) (आधार) / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / सरकारी फोटो पहचान पत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र / मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) जॉब कार्ड / पेंशनभोगी (पेंशनर) का फोटो कार्ड / आवेदक (आवेदकों) की पहचान के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो।
   ii. पते का सबूत: विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) (आधार) / पासपोर्ट @ / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / निवास स्थान का रजिस्ट्रीकृत पट्टा करार (लीज़ एग्रीमेंट) या विक्रय करार (सेल एग्रीमेंट) @ / ड्राइविंग लाइसेंस @ / फ्लैट का मेनटेनेंस बिल / बीमा की प्रति @ / बिल जैसे टेलीफोन का बिल (केवल लैंड लाइन का), बिजली का बिल या गैस का बिल - जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों / बैंक खाते के विवरण / की पासबुक - जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों / सरकारी फोटो पहचान पत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र / संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) की रसीदें / मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) जॉब कार्ड / पेंशनभोगी (पेंशनर) का कार्ड / आवेदक (आवेदकों) के पते के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो (@ जिन दस्तावेजों की "समाप्ति की तारीख" हो, ऐसे दस्तावेज, प्रस्तुत किये जाने की तारीख को विधिमान्य (वैध) होने चाहिए) ।
3. स्रोत पर आय-कर की कटौती कर ली जायेगी, जहाँ लागू होगा, जब तक कि स्रोत पर कर की कटौती से छूट के दावे हेतु निर्धारित फॉर्म (आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच), आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार 'धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन' के साथ प्राप्त न हो । यदि फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच अधूरा भरा हुआ होगा, तो स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. यदि वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हुआ हो या यदि अवयस्क बॉण्ड-धारक वयस्क हो गया हो, तो ऐसे बॉण्ड-धारकों से निवेदन है कि वे इस प्रकार स्थिति में हुए परिवर्तन के समर्थन में आवश्यक सबूत 'धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन' के साथ भिजवायें ।
5. बॉण्डधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में पत्रादि लिखते समय सदैव कंपनी के नाम, स्कीम के नाम, कंट्रोल नं./ खाता सं. का उल्लेख करें ।
6. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन) सं.: 1800-22-7575 या 1800-266-7575 पर संपर्क करें ।